MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

BETWEEN

CHAMBER OF ACCOUNTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

AND

THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL, THE REPUBLIC OF INDIA

The Chamber of Accounts of the Republic of Uzbekistan and the Comptroller and Auditor General of India, hereinafter jointly referred to as the "Parties", attaching importance to international cooperation in the professional field, based on the intention of the Parties involved to develop interaction over issues of mutual interest, based on the principles of mutual respect, trust, equality and mutually beneficial cooperation, have reached the following understanding:

ARTICLE-1

The Parties involved, within their authority, will cooperate in the following areas:

a) exchange of experience over methodology and procedures of implementation of an independent external audit and state financial control;

b) interaction in the field of vocational training and capacity building of human resources;

c) conducting joint research projects on topics of mutual interest, arranging conferences, seminars and working meetings;

d) exchange of information and national legislations (except for those restricted for office use only) on the activities of the Parties.

ARTICLE-2

As the Parties exchange information and documents under the present Memorandum, each is obliged to comply with the current legislation of its state with regard to international exchange of information, protection of public secrets protected by law.

ARTICLE-3

Each of the Parties ensures the confidentiality of the received information in case the other Party bringing in this information considers its dissemination undesirable.

ARTICLE-4

The Parties may hold consultations, seminars and conferences concerning key issues of independent external audit and state financial control.

ARTICLE-5

The Parties exchange delegations in order to learn each other's experience in the field of independent external audit and state financial control.

ARTICLE-6

As the Parties arrange activities under the present Memorandum, each shall bear the costs related to business trips of delegations or individual employees, unless otherwise provided by the preliminary agreements of the Parties.

ARTICLE-7

1. The exchange of information, documents and interaction under the present Memorandum does not imply any remuneration.

2. The results of joint work are the common property of the Parties. Restrictions on the publication of certain materials may be established by agreement of the Parties.

ARTICLE-8

The Parties demonstrate the willingness to develop both bilateral dialogue and cooperation within international organizations of Supreme Audit Institutions.

ARTICLE-9

The provisions of the present Memorandum may be amended and supplemented by mutual written agreement of the Parties. All changes and additions must be drawn up as additional protocols and will enter into force from the date of its signature by both Parties.

ARTICLE-10

All disputes and disagreements arising out of the interpretation and implementation or application of the provisions of this Memorandum shall be resolved amicably by negotiations and consultations between the Parties.

ARTICLE-11

1. This Memorandum is not an international agreement and does not create rights and obligations specified by international law.

2. This Memorandum will come into force from the date of its signing and remain valid until one of the Parties notifies the other Party, only by written agreement, of the intention to terminate it.

After one month from the date of receipt by the other Party of such a notification, this Memorandum shall be considered terminated.

Done on 12th August 2024 in three originals, each in English, Hindi and Uzbek languages. All languages are equally authentic, in case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Adiz Muzaffarovich Boboyev
Chairman,
Chamber of Accounts
Republic of Uzbekistan

Girish Chandra Murmu
Comptroller and
Auditor General of India

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

उज़्बेकिस्तान गणराज्य के लेखामण्डल

तथा

भारत गणराज्य के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

के मध्य

उज़्बेकिस्तान गणराज्य के लेखा मण्डल तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित किया गया है, व्यावसायिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व देते हुए, पारस्परिक सम्मान, विश्वास, समानता एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर, आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत करने हेतु सम्मिलित पक्षों के उद्देश्य के आधार पर, निम्नलिखित समझौतों पर पहुंचे हैं:

अनुच्छेद 1

संबंधित पक्ष, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:

क) स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षा एवं राज्य वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाओं पर अनुभव का आदान-प्रदान;

ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संपर्क ;

ग) आपसी हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन, सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्य बैठकें आयोजित करना;

घ) पक्षों की गतिविधियों पर सूचना एवं राष्ट्रीय विधानों (केवल कार्यालय उपयोग के लिए प्रतिबंधित विधानों को छोड़कर) का आदान-प्रदान।

अनुच्छेद 2

वर्तमान ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षों द्वारा सूचनाओं एवं दस्तावेजों के आदान-प्रदान में, प्रत्येक पक्ष सूचनाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान, कानून द्वारा संरक्षित सार्वजनिक गोपनीयता की सुरक्षा के संबंध में, अपने राज्य के वर्तमान कानून का बाध्यकारी रूप से पालन करेगा।

अनुच्छेद 3

यदि किसी सूचना को देने वाला पक्ष इसके प्रसार को अवांछनीय समझता है तो दूसरा पक्ष प्राप्त सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 4

दोनों पक्ष स्वतंत्र बाहरी लेखापरीक्षा और राज्य वित्तीय नियंत्रण के प्रमुख मुद्दों से संबंधित परामर्श, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 5

स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षा और राज्य वित्तीय नियंत्रण के क्षेत्र में एक-दूसरे के अनुभव से सीखने के लिए दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 6

वर्तमान ज्ञापन के अंतर्गत गतिविधियों की व्यवस्था होने पर, प्रत्येक पक्ष प्रतिनिधिमंडल या व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की व्यावसायिक यात्राओं से संबंधित लागतों को वहन करेगा, जब तक कि पक्षों के प्रारंभिक समझौतों द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

अनुच्छेद 7

1. वर्तमान ज्ञापन के अंतर्गत सूचना, दस्तावेजों के आदान-प्रदान एवं बातचीत पर कोई पारिश्रमिक नहीं है।

2. दोनों पक्षों के संयुक्त कार्य के प्रतिफल पर दोनों पक्षों का अधिकार होगा। दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते के आधार पर कुछ सामग्रियों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 8

दोनों पक्ष सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर द्विपक्षीय संवाद और सहयोग को विकसित करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं।

अनुच्छेद 9

वर्तमान ज्ञापन के प्रावधानों में, पक्षों के आपसी लिखित समझौते द्वारा संशोधन एवं परिवर्धन किया जा सकता है। सभी परिवर्तन एवं परिवर्धन अतिरिक्त प्रोटोकॉल के रूप में तैयार एवं दोनों पक्षों द्वारा इसके हस्ताक्षर की तारीख से लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद 10

इस ज्ञापन के प्रावधानों की व्याख्या और कार्यान्वयन या अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और असहमतियों को पक्षों के मध्य बातचीत और सलाह मशविरे से सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।

अनुच्छेद 11

1. यह ज्ञापन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों एवं दायित्वों का निर्माण नहीं करता है।

2. यह ज्ञापन इसके हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा और तब तक वैध रहेगा जब तक कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को, केवल लिखित समझौते द्वारा, इसे समाप्त करने के इरादे के बारे में सूचित नहीं कर देता।

ऐसी अधिसूचना की दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तारीख से एक महीने के पश्चात , यह ज्ञापन समाप्त माना जाएगा।

11-08-2024 को तीन मूल प्रतियों में, उज्बेक, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया। सभी भाषाएं समान रूप से प्रामाणिक हैं, अर्थ में किसी भी अंतर के मामले में, अंग्रेजी प्रति मान्य होगी।

अदीज़ मुजफ्फरोविच बोबोयेव
अध्यक्ष,
लेखामण्डल,
उज़्बेकिस्तान गणराज्य

गिरीश चंद्र मुर्मू
भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक